न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 16/24

सन् 2024

RCMS NO-2024/ 79

बउनवानी:—1. रामस्वरूप पुत्र स्व0 बजरंगा मीना निवासी ग्राम जमूलखेडा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. सीताराम पुत्र स्व0 बजरंगा मीना निवासी ग्राम जमूलखेडा तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 17 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम जमूलखेडा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता — वकील अपीलान्टगण

2. श्री उमेश कुमार — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 17 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम जमूलखेडा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जेर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जेर अपील नामा0 संख्या 17 खोले जाने व तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया है। विवादित नामा0 अपीलान्ट के पिता स्व0 बजरंगा पुत्र हजारी निवासी जमूलखेडा की विरासत का उसके वारिसान के नाम खोला गया था जिसमे अपीलान्ट के भाई सीताराम व अपीलान्ट की माँ मन्नी नाम तो सही दर्ज कर दिया किन्तु अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप के स्थान पर चौथमल कर दिया बल्कि अपीलान्ट का नाम कभी चौथमल रहा ही है। अपीलान्ट के राशन कार्ड एवं पुत्रो के रिकार्ड यथा आधार कार्ड इत्यादि में अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप है किन्तु पटवार हल्का ने मुझ अपीलान्ट का नाम चौथमल कर दिया है। [illegible] केवल साक्षर है जो मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता है इस कारण अपीलान्ट को [illegible] अपील की जानकारी पूर्व मे नही हो सकी। दिनांक 4.6.2024 को [illegible] की फाइल [illegible] हेतु पटवारी के पास जाने पर पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त [illegible] से अपील अन्दर मयाद मय दफा के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील [illegible] अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जेर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:07 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट रामस्वरूप के स्थान पर चौथमल अंकित कर दिया है। यदि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 17 मे अपीलान्ट का नाम चौथमल के स्थान पर रामस्वरूप कर दिया जाता है तो मुझ रेस्पो0 का कोई हित प्रभावित नही होगा और ना ही उक्त नाम सही करने पर मुझे कोई आपत्ति है। इसलिए अपीलान्ट का नाम चौथमल के स्थान पर रामस्वरूप करने मे मुझ रेस्पो0 की सहमति है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 17 दिनांक 20.8.1998 अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पिता बजरंगा पुत्र हजारी की विरासत का दर्ज फैसल किया गया है किन्तु उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय मृतक बजरंगा के वारिसान के सही नाम की जॉच नही की गयी है और अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 के अनुसार अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप के स्थान पर चौथमल दर्ज कर दिया। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी व जॉच कर वारिसो के नाम प्रविष्टि की जाने हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 17 निर्णय दिनांक 20.8.1998) अपीलान्ट की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक बजरंगा के वारिसान के सही नाम की जॉच की जाकर एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिया जावे तथा अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर.

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner